WWJMRD 2018; 4(3): 304-307
www.wwjmrd.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
E-ISSN: 2454-6615

डॉ. विकास यादव
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर, राजस्थान

Correspondence:
डॉ. विकास यादव
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर, राजस्थान

भारतीय संविधान और पर्यावरण : एक अध्ययन

डॉ. विकास यादव

सारांश
भारत प्राचीन समय से ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव सजग रहा है।भारतीय समाज पुरातन काल से पर्यावरण संरक्षककी भूमिका निभाता रहा है। यहां पर्यावरण के अनुकूल एक समृद्ध संस्कृति रही है ,यही कारण है कि देश में हर स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति ध्यान दिया गया और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका ध्यान रखते हुए संविधान में पर्यावरण की जगह सुनिश्चित की।लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आई है। प्रस्तुत शोध पत्र में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंधों तथा संसद द्वारा पारित अधिनियमों की विवेचना की गई है।

मुख्य शब्द:- भारतीय संविधान, पुरातन काल, पर्यावरण संरक्षककी, जनसंख्या वृद्धि

प्रस्तावना
भारतीय चिंतन परंपरा में पर्यावरण से प्रेम जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा रहा है।भारतीय समाज में आस्था और विश्वास का विशेष स्थान है और इसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेड़-पौधों, जंतुओं,नदियों आदि को भी पूजनीय माना गया है। मानव जीवन के आरंभ से ही मनुष्य एवं पर्यावरण में आपसी संबंध बना हुआ है। भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है हड़प्पा संस्कृति पर्यावरण से ओतप्रोत थी, तो वैदिक संस्कृति पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्याय बनी रही। भारतीय मनीषियों ने समस्त प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना। भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को मां कहा गया है. "माता भूमिरू पुत्रो अहं पृथ्विया" अर्थात पृथ्वी हमारी मां है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। ऊर्जा के स्रोत सूर्य को भी 'सूर्य देवो भव' कहकर पुकारा गया है इसी तरह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में भी पर्यावरण संरक्षण की भावना पहले से निहित है।भारतीय समाज आदि काल से पर्यावरण संरक्षक की भूमिका निभाता रहा है। वेदों,उपनिषदों,पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में पेड़-पौधों एवं जीव जंतुओं के सामाजिक व धार्मिक महत्व को बताते हुए उनको पारिस्थितिकी संतुलन से जोड़ा जाता है।भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में प्रकृति से अनुराग केवल उपयोगितावादी दृष्टि से नहीं वरन पूजा,श्रद्धा और आदर की भावना से किया जाता रहा है। प्राचीन काल में भारत में प्रकृति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाती थी इसलिए यहां पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं थी। प्राचीन समय के विभिन्न दार्शनिकों और सम्राटों ने भी प्रकृति के प्रति जागरूकता दिखाई जैसे मौर्य सम्राट अशोक ने वन एवं वन्य जीव संरक्षण के संबंध में अनेक जटिल नियम प्रस्तुत किए थे। प्राचीन काल के पश्चात मध्यकाल एवं मुगल कालीन भारत में भी पर्यावरण प्रेम बना रहा। पेड़ पौधों की रक्षा के लिए लोगों ने अपने जीवन तक बलिदान कर दिए थे किंतु अब लोगों की प्राथमिकताएं बदलने लगी है।औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों ने भारत में अपने आर्थिक लाभ के कारण पर्यावरण को नष्ट करने का कार्य प्रारंभ किया तो विनाशकारी दोहन नीति के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन भारतीय पर्यावरण में ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही दृष्टिगोचर होने लगा था। किसी भी देश में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि पर्यावरण संबंधी पारंपरिक कानूनों तथा आधुनिक कानूनों को शामिल कर एक बेहतर कानून का निर्माण करके वहां के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय संरक्षण के बेहतर उपाय किए जाएं तथा इसके लिए सभी सकारात्मक एवं प्रासंगिक उपायों को अपनाया जाए। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संस्था द्वारा तथा राष्ट्रीय स्तर पर संविधान द्वारा तथा सरकारी प्रावधानों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए गए।

भारतीय संविधान और पर्यावरण

भारतीय सभ्यता के आरम्भ से ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जागरूकता लोगों में मौजूद थी। वैदिक एवं वैदिककाल के बाद का इतिहास इस बात का साक्षी है लेकिन आधुनिक काल में, विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद से, आर्थिक प्रगति को उच्च प्राथमिकता मिलने के कारण, पर्यावरण कुछ कम महत्त्वपूर्ण स्थान पर रह गया।भारत में पर्यावरण कानून का इतिहास लगभग 124 वर्ष पुराना है इस संबंध में प्रथम कानून 1894 ई में पारित हुआ था और इसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण कारी प्रावधान थे।भारत का स्वरूप एक लोक कल्याणकारी राज्य का है और स्वस्थ पर्यावरण भी कल्याणकारी राज्य का ही एक प्रमुख तत्व है।भारत का संविधान एक जीवंत एवं सक्रिय दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता रहा है।पर्यावरण संरक्षण को लेकर संविधान में विशेष प्रावधान संविधान की सदा विकसित होने वाली प्रवृत्ति का परिणाम है। हमारे संविधान की प्रस्तावना समाज के समाजवादी तरीके और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है।जीने के बेहतर मानक और प्रदूषण रहित वातावरण संविधान के भीतर अंतर्निहित है।

भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है लेकिन जिस समाजवादी राज्य की परिकल्पना की गई है वह तभी संभव है जब सभी का जीवन स्तर उच्च हो। यह सत्य है कि सभी का जीवन स्तर केवल स्वच्छ पर्यावरण अथवा प्रदूषण रहित पर्यावरण में ही संभव है। मूल अधिकारों में प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के बारे में कोई प्रावधान नहीं है लेकिन कुछ मूल अधिकारों में पर्यावरण को अप्रत्यक्ष रूप से समाहित किया गया है ।शुरुआत में भारत के संविधान में पर्यावरण को बढ़ावा देने या उसके संरक्षण के लिए किसी प्रकार के प्रावधान नहीं थे।42 वें संविधान संशोधन के पूर्व भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद था जो पर्यावरण के बारे में प्रावधान करता था। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने स्तर को पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा।लोक स्वास्थ्य में सुधार के तहत पर्यावरण संरक्षण और उसमें सुधार भी शामिल है क्योंकि इसके बिना लोक स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा।भारतीय संसद द्वारा 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार के लिए अधिनियमों को पारित करके संविधान के भाग 4 में कुछ महत्त्वपूर्ण धाराएँ जोड़ी गई जो सरकार पर एक स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपती है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक एवं मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया जो पर्यावरण संरक्षण के लिए उपबंध करते हैं :.

1. 1.राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रयास करेगा।
2. संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 में नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है।इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन,झील, नदी और वन्यजीव भी है इनकी रक्षा और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
    - संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून द्वारा स्थापित बाध्यताओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने और व्यक्तिगत आजादी से वंचित नहीं रखा जाएगा।मेनका गांधी बनाम भारत संघ संबंधी मुकदमे में 1978 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के पश्चात अनुच्छेद 21 की समय-समय पर उदारवादी तरीके से व्याख्या की जा चुकी है।यह अनुच्छेद जीवन जीने का मौलिक अधिकार देता है और इसमें पर्यावरण का अधिकार,बीमारियों व संक्रमण के खतरे से मुक्ति का अधिकार अंतर्निहित है।
    - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरह का व्यवसाय,काम धंधा करने का अधिकार है लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध भी है। कोई भी नागरिक ऐसे किसी भी व्यवसाय को नहीं कर सकेगा जिससे समाज व लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो पर्यावरण संरक्षण संविधान के इसस अनुच्छेद में भी अंतर्निहित है।

भारतीय संविधान में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हेतु अनेक प्रावधान व्यापक रूप से विद्यमान है।किसी भी कानून की वैधता के लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि केवल अधिनियम द्वारा सरंक्षण न प्राप्त हो बल्कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अधीन बनाया गया हो। भारतीय संविधान में न सिर्फ पर्यावरण को बचाने की अवधारणा निहित है,बल्कि पर्यावरण असंतुलन से होने वाले दुष्प्रभाव से भी रक्षा की तरफ ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय पर्यावरणीय एजेंसियाँ

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वन्य जीवन के लिये भारतीय बोर्ड ही मुख्य राष्ट्रीय पर्यावरणीय एजेंसियाँ हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (Ministry of Environment and Forest)

1972 में पर्यावरणीय योजना एवं सहयोग के लिए राष्ट्रीय कमेटी के गठन के लिए कदम उठाए गए जो धीरे-धीरे पर्यावरण का अलग विभाग बना और 1985 में यह पूर्ण रूप से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हुआ।पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देश में पर्यावरण एवं वन संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की योजना बनाने, उसका प्रचार करने, समन्वय करने के लिये केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक तंत्र में एक नोडल एजेंसी है। इस मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों की मुख्य गतिविधियाँ भारत के वनस्पति तथा जीव जन्तुओं को संरक्षण एवं सर्वेक्षण, वनों एवं बीहड़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण, वनरोपण को बढ़ावा तथा भूमि अतिक्रमण को कम करना सम्मिलित है। यह भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के प्रशासन के लिये भी जिम्मेदार है। इसके इस्तेमाल होने वाले मुख्य साधन सर्वेक्षण, पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन, प्रदूषण नियंत्रण, पुनरुत्पादन कार्यक्रम, संगठनों का समर्थन, समाधान खोजने के लिये शोध एवं आवश्यक मानवशक्ति को कार्य करने के लिये प्रशिक्षण, पर्यावरणीय सूचना का संग्रह एवं वितरण तथा देश की जनसंख्या के सभी भागों में पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना है। यह मंत्रालय यूनाइटेड नेशन्स पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme, UNEP) के लिये भी नोडल एजेंसी है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board, CPCB) एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में, जल कानून (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) के तहत हुआ था। इसके अलावा वायु कानून (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण), 1981 के तहत क्षमताएँ एवं कार्य भी सौंपे गए थे। यह 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) कानून के प्रयोजनों के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को

तकनीकी सेवाएँ प्रदान करता है एवं इसके लिये क्षेत्र निर्माण भी करता है।

इसके मुख्य कार्य, जैसे 1974 के जल कानून (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) तथा 1981 के वायु कानून (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) में बताया गया : (पद्ध राज्यों के विभिन्न भागों में जल धाराओं तथा कुओं की सफाई को बढ़ावा देना जिसमें जल प्रदूषण का नियंत्रण, निवारण तथा कटौती शामिल हो, (पपद्ध देश में वायु प्रदूषण का नियंत्रण, निवारण तथा कटौती के साथ-साथ वायु की गुणवत्ता का विकास करना।वायु गुणवत्ता का ध्यान रखना, वायु गुणवत्ता के प्रबंधन का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। यह उद्योगों को स्थापित करने तथा नगर योजनाओं के लिये आवश्यक वायु गुणवत्ता आंकड़ों के लिये पृष्ठभूमि भी प्रदान करता है।

भारतीय मानकों की गुणवत्ता की आवश्यकताओं के साथ-साथ कुछ पर्यावरण की शर्तों को पूरा करने के लिये बनाए गए घरेलू एवं उपभोक्ता उत्पादों के लिये ''पर्यावरण मित्र उत्पाद'' के लेबल की योजना काफी प्रभावी हो रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय बोर्ड के कार्य :-

1. केंद्रीय सरकार को जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण से जुड़े किसी भी मुद्दे पर एवं वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने के बारे में सलाह देना।
2. जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण, निवारण तथा कटौती के लिये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की योजना एवं संचालन करना।
3. राज्य बोर्डों की गतिविधियों का समन्वयन एवं उनके आपसी मतभेदों को दूर करना।
4. राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता एवं दिशा-निर्देश प्रदान करना, वायु एवं जल प्रदूषण से संबंधित समस्याएँ एवं उनके नियंत्रण, निवारण तथा कटौती के लिये शोध को कार्यान्वित करना एवं उनका समर्थन करना।
5. जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण, निवारण तथा कटौती से संबंधित कार्यक्रमों से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण की योजना एवं व्यवस्था करना।
6. जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण, निवारण तथा कटौती के प्रोग्राम के बारे में एक व्यापक जन जागरूकता लाने के लिये एक जनसंचार की व्यवस्था प्रदान करना।

भारत में, राज्यों की अपनी स्वयं कोई पर्यावरण नीति नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई नीतियों को ही अपनाते हैं बस इसमें उस राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन कर लिये जाते हैं। केन्द्र सरकार भी, राज्य सरकारों को विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर दिशा-निर्देश देती रहती है।

वन्य जीवों के लिये भारतीय बोर्ड

देश में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, एक अहम सलाहकार संस्था है एवं इसके अध्यक्ष भारत के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। इसका पुनर्गठन 7 दिसम्बर, 2001 से प्रभावकारी हुआ।

सरकारी प्रयास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बढ़ते औद्योगीकरण,शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई।पर्यावरण की गुणवत्ता की इस कमी में प्रभावी नियंत्रण व प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने समय-समय पर अनेक कानून व नियम बनाए, इनमें से अधिकांश का मुख्य आधार प्रदूषण नियंत्रण व निवारण था। भारत में पर्यावरण संबंधित कुछ कानूनों का निर्माण उस समय किया गया था,जब पर्यावरण प्रदूषण देश में इतना व्यापक नहीं था।अतः इनमें से कुछ कानून अपनी उपयोगिता खो चुके हैं परंतु अभी भी कुछ कानून व नियम पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।प्रमुख पर्यावरणीय कानून व नियम हैं :-

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972

कृषि,उद्योग और शहरीकरण के परिणाम स्वरूप वनों के अधिक कटाव से अनेक वन्य जीव जंतुओं की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गई है या लुप्त होने के कगार पर है।वन्य जीवन के महत्व को ध्यान में रखकर लुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सन 1952 में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का गठन किया गया, इस बोर्ड के अंतर्गत वन्य जीवन पार्क और अभयारण्य बनाए गए। 1972 में वाइल्डलाइफ प्रोटक्शन एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम में लुप्त होती प्रजातियों के सरंक्षण की व्यवस्था है तथा उनके अवैध व्यापार को रोकने का प्रावधान है।साथ ही संकटग्रस्त वन्य प्राणियों की सूची बनाना, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाना तथा संकटग्रस्त पौधों को सरंक्षण प्रदान करना है। इस अधिनियम को अधिक व्यावहारिक व प्रभावी बनाने के लिए इसमें वर्ष 1986 तथा 1991 में संशोधन भी किए गए।

जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974

यह अधिनियम भारतीय पर्यावरण विधि के क्षेत्र में प्रथम व्यापक प्रयास है जिसमें प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस अधिनियम ने एक संस्थागत संरचना की स्थापना की ताकि वह जल प्रदूषण रोकने के उपाय करके स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें।इस कानून के अनुसार कोई व्यक्ति जो जानबूझकर जहरीले अथवा प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को पानी में प्रवेश कराएगा, जो कि निर्धारित मानकों की अवहेलना करते हैं तो वह व्यक्ति अपराधी होगा तथा उन्हें नियमानुसार निर्धारित दंड दिया जाएगा।

वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981

बढ़ते औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण में निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण तथा इसकी रोकथाम के लिए यह अधिनियम बनाया गया।वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण को रोकने का एक महत्वपूर्ण कानून है जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न केवल औद्योगिक इकाइयों की निगरानी की शक्ति देता है बल्कि प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का भी अधिकार प्रदान करता है।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून

भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए पृथक अधिनियम नहीं है,ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही शामिल किया गया है।वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में सन 1987 में संशोधन करते हुए इसमें ध्वनि प्रदूषण को भी वायु प्रदूषण की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया।पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भी ध्वनि प्रदूषण सहित वायु तथा जल प्रदूषण की अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है।इसका प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम, 2000 पारित किया गया। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं।

पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986

संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 से प्रभावित होकर भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया।इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास करना

है। इस अधिनियम के द्वारा सरकार के पास ऐसी शक्तियां आ गई कि जिनके द्वारा वह पर्यावरण की गुणवत्ता के सरंक्षण व सुधार हेतु उचित कदम उठा सकती है। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार को पर्यावरण गुणवत्ता मानक निर्धारित करने, औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने,दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करने तथा हानिकारक तत्वों का निपटान करने, प्रदूषण के मामलों की जांच एवं शोध कार्य करने, प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल निरीक्षण करने आदि कार्य सौंपे गए है।

जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002

जैव विविधता संरक्षण हेतु केंद्र सरकार ने 2000 में एक राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण क्रियान्वयन योजना प्रारंभ की जिसमें गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों,पर्यावरणविदों तथा आम जनता को शामिल किया गया ।इसी प्रक्रिया में सरकार ने जैव विविधता संरक्षण कानून 2000 पारित किया जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । इस कानून का मुख्य उद्देश्य जैविक विविधता की रक्षा की व्यवस्था करना है।अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता प्राधिकरण के गठन, राज्य स्तरों पर राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थापित करने तथा स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करने का प्रावधान है ताकि इस कानून के प्रावधानों को ठीक प्रकार से लागू किया जा सके। यह सरकार के साथ-साथ आम लोगों की भागीदारिता को भी सुनिश्चित करता है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

यह अधिनियम वन संबंधी नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो 18 दिसंबर 2006 को पास हुआ।यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिनसे औपनिवेशिक काल से ही उन्हें वंचित किया गया था।इसका उद्देश्य जहां एक ओर वन संरक्षण है वहीं दूसरी और यह जंगलों में रहने वाले लोगों को उनके साथ सदियों तक हुए अन्याय की भरपाई का भी एक प्रयास है।यह कानून जंगलों में रहने वाले लोगों तथा जनजातियों को उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर उनको अधिकार प्रदान करने उन्हें पशु चराने तथा जल संसाधनों का प्रयोग करने का अधिकार देता है।साथ ही विस्थापन की स्थिति में उनके पुनर्स्थापन का प्रावधान तथा जंगल प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी भी सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

इस अधिनियम के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई।इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उनका पुनर्निर्माण करना तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटान करना है।

पर्यावरण संरक्षण एवं न्यायपालिका

भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका द्वारा भी महत्वपूर्ण पहल की गई है।जीवन का अधिकार जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 में है, की सकारात्मक व्याख्या करके, न्यायपालिका ने इस अधिकार में ही स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को निहित घोषित किया है। सामाजिक हित, विशेषकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति, न्यायपालिका की वचनबद्धता के कारण ही जनहित मुकदमों का विकास हुआ।न्यायपालिका ने विभिन्न मामलों में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया है कि गुणवत्तापूर्ण जीवन की यह मूल आवश्यकता है कि मानव स्वच्छ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करें। अधिकतर मामलों में न्यायपालिका का विचार रहा है कि विकास के महत्व को गौण स्थान नहीं दिया जा सकता लेकिन पर्यावरण की कीमत पर विकास को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, भले ही इस प्रक्रिया में अल्पकालीन हानि उठानी पड़े। पर्यावरण संरक्षण पर न्यायपालिका के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है जैसे . श्रीराम गैस रिसाव मामला 1987, गंगा प्रदूषण मामला 1988, दिल्ली वाहन प्रदूषण मामला 1994, ताजमहल का मामला 1997, दिल्ली की प्रदूषित औद्योगिक इकाइयों की बंदी तथा स्थानांतरण 1996 आदि। उपर्युक्त मामलों के अलावा जिन अन्य विषयों पर जनहित याचिकाओं के द्वारा न्यायपालिका ने निर्णय दिए उनमें शामिल है . नगरों के ठोस मलबे का प्रबंधन, दिल्ली के भूमिगत पानी में होती कमी, कोलकाता में हुगली नदी के साथ स्थापित प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने, जनजातीय लोगों तथा मछुआरों के विशेषाधिकार, हिमालय तथा वनों की पारिस्थितिकीय व्यवस्था, पारिस्थितिकी पर्यटन,पर्यावरण को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना,संचार माध्यमों के द्वारा पर्यावरण के महत्व का प्रचार.प्रसार,भूमि के प्रयोग के प्रतिमान तथा विकास योजनाएं इत्यादि।

निष्कर्ष

भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिनके संविधान में पर्यावरण का विशेष उल्लेख है।भारत में पर्यावरणीय कानूनों का व्यापक निर्माण किया है तथा हमारी नीतियां पर्यावरण संरक्षण में भारत की पहल दर्शाती हैं।पर्यावरण संबंधी सभी विधेयक होने पर भी भारत में पर्यावरण की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। नाले, नदियां तथा झीलें औद्योगिक कचरे से भरी हुई है, जैसे- दिल्ली में यमुना नदी एक नाला बन कर रह गई है तथा दिन प्रतिदिन वन क्षेत्र में कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे आए दिन प्राकृतिक आपदाएं मुंह बाए खड़ी है। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि मनुष्यों द्वारा पर्यावरण के साथ समन्वयात्मक,सहयोगात्मक और सामंजस्यपूर्ण संबंध को अपनाया जाए साथ ही साथ हमें अपनी पुरातन परंपराओं व संस्कृति को भी अपनाना होगा जो पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करती है।बढ़ती जनसंख्या, भोगवादी संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों का अनवरत दोहन, औद्योगिक विकास आदि के द्वारा उत्पन्न समस्याओं को रोकना वर्तमान मानव जाति का उत्तरदायित्व है, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को संतुलित एवं संवर्धित पर्यावरण सौंप सकें।

संदर्भ

1. ए. मापाजी सिनजेला, "डेवलपिंग कंट्रीज पर्सेप्शंस ऑफ एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनामिक डेवलपमेंट", आईजेआईएल वॉल्यूम 24,1984
2. डी डी बसु, "भारत का संविधान- एक परिचय" नई दिल्ली, 2002
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट http://moef.gov.in/
4. राष्ट्रीय सहारा,समाचार पत्र आलेख, जून 2014
5. पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 http://legislative.gov.in/
6. योजना, मासिक पत्रिका, भारत सरकार, दिसंबर 2015
7. Nawneet Vibhaw, "Environmental Law" Lexis Nexis,2016
8. Subhash C. Kashyap, "Our Constitution: an introduction to India's constitution and constitutional law" National Book trust, 2011